संख्या– 1030/सत्तर–5–2017– 26/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2017

विषयः– राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं की स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के अति पिछड़े/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना एवं प्रोत्साहित किया जाना है। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं के कार्य संतुष्टि को अधिकतम करने हेतु तथा छात्र/शैक्षिक हित संरक्षित करने के लिए स्थानान्तरण/नवीन तैनाती में पारदर्शिता, समानता एवं मांग आधारित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अतएव राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण छात्र/शैक्षिक हित को संरक्षित करने के उद्देश्य से 'राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं की स्थानान्तरण नीति, 2017' निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1. उद्देश्यः–

सरकार की प्राथमिकता राज्य के अति पिछड़े क्षेत्रों/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना एवं प्रोत्साहित किया जाना है। अतः राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं के कार्य संतुष्टि को अधिकतम करने हेतु छात्र/शैक्षिक हित संरक्षित करने के लिए स्थानान्तरण/नवीन तैनाती में पारदर्शिता, समानता एवं मांग आधारित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. मुख्य विशेषतायें एवं बुनियादी सिद्धान्त :–

(1) यह नीति वर्ष 2017–18 एवं अनुवर्ती वर्षों, जब तक कि सक्षम स्तर से संशोधित/अतिक्रमित न कर दी जाय, के लिए प्रभावी होगी।

(2) आवेदन करने की अन्तिम तिथि वह होगी, जैसा कि उस वर्ष हेतु अधिसूचित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक स्थानान्तरण वर्ष में अधिसूचित तिथि के अन्दर स्थानान्तरण पूर्ण कर लिये जायेंगे। उसके उपरान्त स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। स्थानान्तरण पूर्ण करने की कट ऑफ डेट प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई होगा। वर्तमान वर्ष–2017 प्रथम वर्ष होने के फलस्वरूप स्थानान्तरण 31 जुलाई, 2017 तक सम्पादित किये जायेंगे ।

(4) शिक्षक–छात्र अनुपात (1 : 60) को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसी महाविद्यालय में अधिक संख्या में अध्यापक तैनात हैं (सरप्लस स्टाफ) तो उन्हें सर्वप्रथम ऐसे महाविद्यालय में समायोजित किया जायेगा जहॉ शिक्षक–छात्र अनुपात के अनुसार उनकी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में 'लास्ट इन फर्स्ट आउट' के सिद्धान्त के अनुसार कनिष्ठतम प्रवक्ता को विकल्प मांग कर अन्यत्र समायोजित किया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित दशा में सरप्लस घोषित होने से छूट प्राप्त होगी :–

(क) जिनकी सेवानिवृत्त में 02 वर्ष से कम अवधि है।

(ख) गंभीर रोग यथा– कैंसर, एड्स, किडनी/लीवर फेल्योर आदि।

(ग) किसी प्रवक्ता/प्राचार्य का पति/पत्नी सैनिक व अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत है तथा उसकी तैनाती सीमा अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।

(घ) पति–पत्नी दोनों उसी जनपद के राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं।

(च) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रवक्ता।

(5) सरप्लस स्टाफ के विकल्प के आधार पर समायोजन के उपरान्त निम्न श्रेणी के अध्यापकों के विकल्प के आधार पर निर्धारित वरीयता क्रमानुसार उनके विकल्पों पर रिक्ति की दशा में अनुरोधानुसार तैनाती/स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता दी जायेगी :–

(क) यदि किसी महिला प्रवक्ता/प्राचार्य का पति/पत्नी सैनिक व अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत है तथा उसकी तैनाती सीमा अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।

(ख) यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं एवं अलग–अलग जनपदों में तैनात हैं।

(ग) अति गम्भीर रोग जैसे– कैंसर, एड्स, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर, आदि से ग्रसित हैं।

(घ) ऐसे प्रवक्ता/प्राचार्य जिनकी सेवानिवृत्ति में 02 वर्ष (अधिवर्षता की तिथि से सत्र लाभ की अवधि को आगणित करते हुए) से कम का समय रह गया है, उन्हें इच्छित जनपद/गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(6) उक्त बिन्दु 2(5) में उल्लिखित वरीयताक्रम के अनुसार स्थानान्तरण/तैनाती दिये जाने के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन–पत्रों के सापेक्ष स्थान के आवंटन का निर्णय,एक प्रवक्ता/प्राचार्य द्वारा निम्न विवरण के अनुसार अर्जित अधिकतम अंको के योग के आधार पर किया जायेगा। एक पद के सापेक्ष एक से

अधिक दावेदार होने की स्थिति में उच्चतर अंक अर्जित करने वाले शिक्षक को विकल्प आवंटित कर दिया जायेगा :–

क0	मुख्य कारक	उप कारक	अधिकतम अंक	अंको का मानक
1.	आयु (वर्तमान दिनांक से जन्मतिथि का अन्तर)	उम्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक	58	दिनों के आधार पर आयु/365 (अधिकतम दशमलव के 4 बिन्दु तक)
2.	लिंग	महिला	10	महिला प्रवक्ता/प्राचार्य को 10 अंक दिये जायेंगे
3.	महिला शिक्षकों की विशेष श्रेणी	विधवा, तलाकशुदा, परिवार से अलग, अविवाहित, वह महिला शिक्षिका जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है/सैनिक की पत्नी/राज्य के बाहर अर्द्ध सैनिक बल में कार्य करनें वाले व्यक्ति की पत्नी	10	इस वर्ग की सभी महिलाओं को केवल 10 अंक प्रदान किये जायेंगे
4.	पुरूष शिक्षकों की विशेष श्रेणी	विधुर (वह पुरूष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो और वह पुनः विवाह न किया हो) और छोटा बच्चा/अथवा अविवाहित पुत्री/पुत्रियॉ	10	ऐसे आवेदक को 5 अंक प्रदान किये जायेंगे। (पुनः शादी करनें/बच्चों के बडे होनें पर/पुत्रियों की शादी हो जाने पर, कर्मचारी अपना प्रोफाइल एम0आई0एस0 में तैयार करेगा और किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा)
5.	स्वयं की दिव्यांगता	दृष्टि/ बहरा/ गूँगा/ चलन किया	40 से 60 प्रतिशत –10अंक, 60 से 80 प्रतिशत–15 अंक, 80 प्रतिशत से अधिक–20 अंक	सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित हो, प्रस्तुत करने पर
6.	पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री की दिव्यांगता	–	10	सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, प्रस्तुत करने पर
7.	गंभीर बीमारी	स्वयं	10	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/ शाखाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा विधिवत स्थापित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण, प्रस्तुत करने पर
		पत्नी/अविवाहित बच्चे	10	

8.	राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त	–	10	सुसंगत अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर
9.	यदि पति–पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हो	–	10	नियोक्ता द्वारा प्रमाण–पत्र /संस्तुति पत्र उपलब्ध कराने पर
10.	श्रेणी–।।। के राजकीय महाविद्यालयों कार्यरत प्रवक्ता/ प्राचार्य	प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक	10	पूर्ण वर्ष न होने पर अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।
11.	श्रेणी–।। के राजकीय महाविद्यालयों कार्यरत प्रवक्ता/ प्राचार्य	प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 01 अंक	05	पूर्ण वर्ष न होने पर अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरण की प्रक्रियाः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष राजकीय महाविद्यालयों की रिक्तियों को विभागीय वेबसाईट पर अधिसूचित/प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्राचार्य एवं प्रवक्ता जो स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हैं, के द्वारा अधिसूचित तिथि के मध्य स्थानान्तरण हेतु विभागीय वेबसाईट पर ऑन–लाईन आवेदन के माध्यम से वरीयता क्रम में 03 विकल्प दिया जायेगा।

(3) ऑफ–लाईन अथवा निदेशक, उच्च शिक्षा व शासन में स्थानान्तरण हेतु किये गये आवेदन न तो स्वीकार किये जायेंगे और न ही इसके सापेक्ष स्थानान्तरण का दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) एक बार चुना गया विकल्प अन्तिम होगा और इसे केवल स्थानान्तरण नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत ही बदला जा सकेगा।

(5) संबंधित प्रवक्ता/प्राचार्य अपने से सम्बन्धित डाटा विवरण की शुद्धता एवं उसे अद्यतन करने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर वह किसी विसंगति को देखता है तो सक्षम अधिकारी को, उचित प्रक्रिया के माध्यम से संगत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए संशोधित करायेगा। यदि कोई स्थिति बदली हुई पायी जाती है तो प्रोफाइल की अद्यतन स्थिति के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(6) सभी विकल्पों को एक बार प्रयोग किये जाने पर सभी सम्बन्धित शिक्षकों को उनके लागइन में देखने के लिये उपलब्ध होगा।

(7) स्थानान्तरण आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जबकि एक प्रतिशत मामलों को ऐच्छिक आधार पर मैन्युअल रूप से परीक्षण कर किया जाएगा।

(8) चयनित महाविद्यालयों में स्थानान्तरण या तैनाती का दावा, अधिकार स्वरूप मॉग के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

4. स्थानान्तरण एवं नवीन तैनाती हेतु मार्ग–दर्शक बिन्दुः–

(1) कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 2017–18 के प्रस्तर–2 में व्यवस्था है कि समूह–'क' एवं 'ख' के अधिकारी, जो अपने सेवाकाल में जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को अन्य जनपदों/मण्डलों में स्थानान्तरित कर